अध्याय VI: पर्यावरणीय मुद्दे

6.1 पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 34 में उल्लेखित किया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पालन की जानी है । तदनुसार, कोई भी खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति पूर्व सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति पत्र प्राप्त किए बिना और जैसा कि लागू कानूनों के तहत खनन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक है, प्रदान नहीं किया जाएगा । प्रत्येक खनन पट्टा या अनुज्ञप्तिधारी खनन कार्य इस प्रकार से करेगा कि खदान या क्वारी का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो, खनिज का संरक्षण हो, पर्यावरण की रक्षा हो और मानव और मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो ।

उपरोक्त प्रावधानों के सन्दर्भ में जारी पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लेखित किया गया है कि खनन पट्टा के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र जिसमें खनन पट्टे के आसपास सुरक्षा क्षेत्र में हरित पट्टी भी शामिल है, ओवरबर्डन, डम्प, जल स्रोत, रोड़ के आसपास पुनर्भरित एवं पुनरूद्धारित क्षेत्र इत्यादि अथवा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के परामर्श से पौधों की स्थानीय प्रजाति का वृक्षारोपण करना होगा ।

चयनित पट्टों की गूगल अर्थ प्रो छवियों की जांच में पाया कि वृक्षारोपण पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था । इन तथ्यों की पुष्टि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हुई थी । यह पाया गया 25 पट्टों में से केवल एक पट्टे में वृक्षारोपण किया गया था । उस पट्टे में केवल पांच पौधे ही बचे थे ।

ध्यान में लाने पर सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली ने बताया (फरवरी 2021) कि पट्टों में खनिज उपलब्ध होने की स्थिति में पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र को छोड़कर अन्य भूमि पर वृक्षारोपण किया गया । तथापि, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था । खनि अभियन्ता अलवर ने उत्तर में बताया कि वृक्षारोपण पट्टेदारों द्वारा किया गया था लेकिन वर्षा और पानी की कमी के कारण पौधे जीवित नहीं रहे । पट्टा क्षेत्र के बाहर पौधरोपण भी किया गया ।

उपरोक्त प्रतिक्रियाएं आश्वस्त करने वाली नहीं थीं और लेखापरीक्षा का विचार है कि पर्यावरणीय कानूनों की अनुपालना की बारीकी से निगरानी नहीं की गई ।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है । समापन बैठक के दौरान निदेशक ने बताया कि कुछ खण्डों (बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर आदि) के पट्टेदारों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में अच्छी तरह से पता था और वे वृक्षारोपण में अच्छा काम कर रहे हैं । अन्य खण्डों में भी जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाएगा । तत्पश्चात, सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि वृक्षारोपण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे ।

नीमकाथाना खण्ड द्वारा अपनायी गयी अच्छी प्रथा

सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना ने अवगत कराया कि चूंकि खनन क्षेत्र पहाड़ी और अनुपजाऊ थे, राज्य सरकार द्वारा नीमकाथाना खान एवं क्रेशर सेवा समिति के नाम पर 60 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित किया गया। वर्ष 2016 में करीब 30,000 पौधे रोपे गए। इसके बाद हर साल क्षेत्र में पौधरोपण किया जा रहा था। क्षेत्र में 40,000 जीवित पौधे हैं। समिति ने इन पौधों की देखभाल के लिए 20 मजदूरों की टीम को लगाया है।

समीक्षा दल ने अवैध खनन स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया और पाया कि पर्यावरण को बचाने के लिए यह एक अच्छी प्रथा है। यह अच्छी प्रथा अन्य खण्ड कार्यालयों द्वारा अपनायी जा सकती है ।

चित्र 6.1: नीमकाथाना खान एवं क्रेशर सेवा समिति के वृक्षारोपण कार्य के चित्र ।

6.2 भूमि को हुए नुकसान का आकलन

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 68 के अनुसार, खनन पट्टे की समाप्ति के बाद, सरकार पूर्वेक्षण या खनन कार्यों द्वारा भूमि को हुई क्षति, यदि कोई हो, का आकलन करेगी और अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी जो भी सतही भूमि का अधिभोगी हो द्वारा देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगी। इसके अलावा, इस तरह के प्रत्येक मूल्यांकन को सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा खंडित खनन पट्टे की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। हालांकि, ऐसी भूमि जो अवैध रूप से खुदाई की गई थी और इसमें लिप्त व्यक्ति की पहचान की गई थी, के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा मे पाया कि किसी भी चयनित संभाग में अवैध रूप से खनन क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं किया गया था। पूछने पर जवाब दिया गया कि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। खनि अभियन्ता सीकर ने उत्तर दिया कि अवैध स्थलों की पहचान की जाएगी और पर्यावरण मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को पत्र लिखा जाएगा।

यह स्पष्ट है कि अवैध खनन से भूमि और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए ऐसी भूमि और पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र के सुधार के लिए किया जाना था।

सरकार ने उत्तर में अवगत कराया कि अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है।

6.3 न्यायालय/अधिकरण के आदेशों का पालन न करना

राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4239/2019 में एक आदेश जारी किया (3 सितंबर 2019)। आदेश के अनुसार खनिज बजरी या रेत के अवैध परिवहन के मामले में:

- बजरी को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसे अवैध खनन से प्राप्त किया गया, जो राज्य में निहित है; और
- बजरी को उस स्थान पर उचित रूप से पुनः स्थापित किया जाना है जहां से इसका खनन किया गया था या जहां से ऐसा अवैध खनन/उत्खनन हुआ था।

निदेशक ने उक्त आदेश की अनुपालना के लिए 20 सितंबर 2019 को आदेश जारी किया।

चयनित खण्डों की पंचनामा पत्रावलियों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 40 मामलों[1] में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं की गयी थी। दो मामलों में सहायक खनि अभियन्ता कोटपूतली ने संबंधित थाने को पत्र लिखकर बजरी उतारने के बाद वाहनों को छोड़ने के लिए कहा। 38 मामलों में बजरी को दोषी को इस आशय का वचन लेकर सौंप दिया गया था कि दोषी बजरी को उसी स्थान पर उतारेगा जहां उसकी खुदाई की गई थी। इन मामलों में, यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि दोषी द्वारा बजरी उतारी गई थी और इसलिए अवैध खनिज के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

अदालत के आदेश की मंशा थी कि बजरी को ठीक उसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए जहां से इसका खनन किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई से यह मंशा पूरी नहीं हुई। इस प्रकार, आदेशों का पालन न करने के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकी।

ध्यान में लाये जाने पर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालना नहीं करने के संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सरकार ने जवाब में बताया (अक्टूबर 2021) कि अधीनस्थ कार्यालयों को न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालना करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

[1] सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली (12), सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) मकराना (4), सहायक खनि अभियन्ता नीमकाथाना (5), सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) नीमकाथाना (12), खनि अभियन्ता (सतर्कता) अलवर (2) और खनि अभियन्ता मकराना (5)।

6.4 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

चयनित पट्टों के उपग्रह चित्रों की जांच से पता चला कि वृक्षारोपण, पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किये गये थे। किसी भी चयनित खण्ड में अवैध रूप से खनन क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं किया गया था। चयनित खण्डों की पंचनामा पत्रावलियों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 40 मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालना नहीं की गई थी।

6.5 सिफारिशें

विभाग कर सकता है:

1. *पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीमकाथाना के पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए सफल वृक्षारोपण की अच्छी प्रथा को अपनाएं और*
2. *माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।*